

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: मा0शि0 (NOC)/3624-32 / 2024-25

दिनांक: 7 सितम्बर, 2024

विषय: ए0 एस0 ग्रुप इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल सहावर बाईपास रोड धवा, गंजडुण्डवारा, कासगंज को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: सामान्य-1 शिविर/7560-7776/2020-21 दिनांक 22, जनवरी 2021 के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ के शासनादेश संख्या-2144/15-07-2020-1(34)/2020 दिनांक 07 जनवरी, 2021 के द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित माध्यमिक शिक्षा विभाग की सेवा माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिसके क्रम में ए0एस0 ग्रुप इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल सहावर बाईपास रोड धवा, गंजडुण्डवारा, कासगंज द्वारा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। उक्त ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 10.09.2024 द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त ए0एस0 ग्रुप इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल सहावर बाईपास रोड धवा, गंजडुण्डवारा, कासगंज को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी का चरित्र गैर स्वामित्व होगा तथा समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
3. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ कराये जायेंगे।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
6. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
10. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होते ही, तो उक्त बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
12. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों का प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
13. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
14. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नियमानुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुये क्रियाशील रखा जायेगा तथा नियमानुसार प्रत्येक 03 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र का नवीनीकरण संस्था द्वारा कराया जायेगा।
16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश के क्रम में भवन सुरक्षा नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों एवं राज्य सरकार की समस्त शर्तों/नियमों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों/नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूँकि या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार गिरि)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी कासगंज।
3. विशेष सचिव (शिक्षा अनुभाग-7) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज।
7. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, ए0एस0 ग्रुप इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल सहावर बाईपास रोड़ धवा, गंजडुण्डवारा, कासगंज।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़